THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF POWER, MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL AND MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY (SHRI PIYUSH GOYAL): As you desire, Sir. I can reply to this now also.

HON. DEPUTY SPEAKER: It is up to you. If you want to say something, you can say.

SHRI PIYUSH GOYAL: Sir, I would not get into the complete details or all the criteria of allotment. But I would like to thank hon. Member for having flagged off a very important issue. It is important also for all the members and the august House to appreciate.

Obliviously, the urgency of the Ordinance is something that nobody in this House can deny, particularly, after the hon. Supreme Court's order on 24th September, struck down the allotment of 204 coal blocks, which were given free of charge. Today the State is talking about revenue. At that time, I do not know whether the State even recognized the fact that what revenue could have accrued to the States was being lost by giving these mines… (*Interruptions*) The erstwhile allotment was going on for giving mines free of charge. The hon. Supreme Court was seized of the matter. On 24th September, when they cancelled the allotment of 204 mines, at that time the country was faced with the crisis. If one looks back to the newspaper articles, to the editorials and to the fear psychosis in the whole country that coal production will dwindle, all these plants which were connected as end use plants to these mines will suddenly have no coal and no production: 'You could be faced with a situation after 31st March, which is the time the hon. Court has given for re-bidding or re-allotment of these operating mines. Such 42 of the mines which are operating or near operation, if these would not have been completed by 31st March, this summer, the entire India would have suffered the agony of power cuts and power shortages and a deep crisis in the production of steel, cement and very essential ingredients which help run the economy, the engines of growth of this country.' At that point of time, it is a matter of record

that within less than one month, on 20th October, this Government pro-actively came out with an Ordinance, an Ordinance which was applied to all the problems that could emerge out of the operation of the hon. Supreme Court Order.

(g4/1750/ak-rps)

Sir, you will appreciate that the Supreme Court order had cancelled the mines, but the mining infrastructure, namely, land and machinery that is fixed to the ground all of those things belonged to the prior allottees who are now the illegal prior allottees. If the Government had tried to reallocate these blocks without having possession of the land and without having possession of the mining infrastructure, then we would basically have only given a piece of paper or a license, but they could not operate because the ownership of the land and machinery was not theirs and that would have made thousands of people unemployed in this country. हजारों लोग बेरोजगार होते, सैकड़ों मिलियन टन कोयले का उत्पादन रुक जाता, देश भारी बिजली संकट में पड़ जाता और स्टील, सीमेंट वगैरह आदि बहुत अहम वस्तुओं का उत्पादन रुक जाता।...(व्यवधान)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): What was Coal India doing? … (*Interruptions*) What was Coal India's job? It was not only private enterprises, but it was Coal India's job. … (*Interruptions*)

श्री पीयूष गोयल : भतृहरि जी भलीभांति जानते हैं कि कोल इंडिया पिछले पांच वर्षों से मात्र एक-डेढ़ प्रतिशत कोयले का उत्पादन बढ़ाता है और एक-डेढ़ प्रतिशत उत्पादन बढ़ाकर 42 माइन्स में जो 100 मिलियन टन कोयले का पोटेंशियल है, वह मेक-अप नहीं हो सकता था। मुझे सदन को बताने में बहुत हर्ष है कि हमारी सरकार आने के बाद जून से अब तक कोल इंडिया ने रिकॉर्ड सात प्रतिशत उत्पादन बढ़ाया है, जो इतने वर्षों में कभी नहीं हुआ है और उसकी रायल्टी का बेनिफिट भी आपके राज्यों को ही मिलता है। इस आर्डिनेंस की जरूरत के बारे में इस सदन में पहले भी कई बार चर्चा हो चुकी है, आपकी बात सही है कि डिसकशन होनी चाहिए, डिबेट होनी चाहिए। हमने बहुत विस्तार में डिबेट की, सदन में विधेयक पास किया, दुर्भागय से दूसरे सदन में वह विधेयक पास नहीं हो पाया, वहां कुछ डिस्टर्बेंसेज रहीं। यह आप सब भलीभांति जानते हैं और वह बिल लैप्स हो गया। लैप्स्ड बिल के रहते, यह सरकार इन खदानों की फिर से ऑक्शन या रि-एलॉट नहीं कर पाती और उससे देश में भारी संकट आता, इसलिए हमने आर्डिनेंस को फिर

से प्रोमल्गेट किया। महामहिम राष्ट्रपति जी ने उसको अनुमोदन दिया, वह प्रोमल्गेट हुआ। आपने पूछा कि हमने क्या किया है, मैं बताना चाहूंगा कि इस देश में यह पहली बार हुआ है कि पिछली सरकार जो काम दस वर्ष में नहीं कर पाई, वर्ष 2004 में पिछले प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि कोयले की खदानों का ऑक्शन होना चाहिए, लेकिन वर्ष 2004 से 2014 तक एक भी नीलामी सम्पन्न नहीं हो पाई और हमने चार महीने में 19 माइन्स की नीलामी करके दिखाया। परसों से फिर से नीलामी का नया दौर शुरू होने जा रहा है। मैं समझता हूं कि सरकार की यह बड़ी उपलब्धि है कि भारी संकट से हमने देश को बचाया है। ...(व्यवधान) जहां तक स्पेशल प्रॉविजन की बात कही गयी है, मैं उसके बारे में अपने जवाब में विस्तार से कहूंगा, लेकिन इतना आश्वासन देना चाहूंगा कि यह काम आर्बिट्रेरली नहीं किया गया। अगर हम पुराने एंडयूज को कंटीन्यू रखते तो स्टील, सीमेंट एवं अन्य नॉन-रेगुलेटेड सेक्टर्स के लिए इतनी ज्यादा खदानें दी गयी थीं कि शायद दो सौ या चार सौ साल तक उनके पास खदानें रहतीं, लेकिन पावर प्लांट्स की खदानें शायद दस-पन्द्रह साल भी नहीं चल पातीं। इसलिए जरूरी था कि डिफाइन्ड क्राइटेरिया के तहत इन माइन्स का एंडयूज रिएलोकेट किया जाए। एक टेक्नीकल कमेटी सभी मंत्रालयों को सम्मिलित करके बनाई गयी। एक डिफाइन्ड क्राइटेरिया बनाया गया जिसे मैं पढ़ सकता हूं और आपको भी दे सकता हूं, उसके हिसाब से एंडयूज तय किया गया और राज्यों के अधिकारियों के साथ भी निरंतर चर्चा की। यह अलग बात है कि मैं एक-एक एम.पी. के साथ या एक-एक सरकारी अधिकारी से बात करूं या कैसे करूं, लेकिन आपके राज्य के जो प्रमुख अधिकारी हैं, जो इस विषय से संबंध रखते हैं, उनसे चर्चा की गयी। अगर पिछली व्यवस्था चालू रखते तो शायद एक भी माइन में एक रुपया भी बिड नहीं होता क्योंकि इतना ज्यादा खदानें नॉन-रेगुलेटेड सेक्टर को दी गयी थीं कि डिमाण्ड-सप्लाई गैप एडजस्ट नहीं होता और बिजली के कारखानों को कोयले की आपूर्ति नहीं होती, वे त्रस्त रहते। बहुत सोच-समझकर डिफाइन्ड वे में, ट्रांसपेरेंटली वेबसाइट पर डालकर पूरे प्रोसेस को किया गया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले दिनों में बहुत-सी माइन्स ऑक्शन होने वाली हैं जिनसे हरेक राज्य की अच्छी कमाई होगी। आगे चलकर इसमें नॉन-रेगुलेटेड सेक्टर की आपके राज्य की माइन्स भी आएंगी। आने वाले दिनों में कमर्शियल माइनिंग से आपके राज्य को बहुत बड़ी मात्रा में रायल्टी और ऑक्शन अमाउंट मिलने जा रहा है।

(ends)